IV 156/2016

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

INDIA NON

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 144168

ट्रस्ट का स्मृति–पत्र

1– ट्रस्ट का नाम : स्व0 रामरती देवी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

मुख्य ट्रस्टी श्रीमती ज्ञानमती सिंह पत्नी श्री जगदम्बा सिंह

2– ट्रस्ट का पता : म0नं0–22 वृन्दावन कालोनी राजेन्द्रनगर

पश्चिमी पोस्ट गोरखनाथ,गोरखपुर–273015

3– **ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र :** सम्पूर्ण भारतवर्ष और विदेशो मे भी ट्रस्ट कार्य कर सकेगा।

4– **ट्रस्ट का उद्देश्य–**

1– भारतीय संस्कृत परम्परा के आधार पर सादा जीवन उच्च विचार पर आधारित प्रारम्भिक विद्यालय से लेकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना जिसमे भारतीयता, सामाजिकता, स्वदेश प्रेम, समाज सेवा आदि की भावनाए उत्पन्न हो।

2– साहित्यिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, भौगालिक, खगोलीय,भाषा, ज्ञान, प्रकृति, प्राणी, जड, जंगल आदि विषयों पर शोध करना।

3– बच्चों को शिक्षा व्यवस्था कर सच्चरित्र नागरिक बनाना।

4– छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय, विभिन्न विषयो पर प्रयोग एवं शोध हेतु प्रयोगशालाए, आदि स्थापित एवं संचालिति करना तथा राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास एव प्रचार प्रसार करना।

5– बालक–बालिकाओं मे अनुशासनात्मक ढग से शिक्षा ग्रहण करने की भावना उत्पन्न करना एव को–एजुकेशन पर आधारित विभिन्न प्रशिक्षण व शोध आदि संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।

6– आर्थिक रूप से कमजोर एव असहाय लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ट्रस्ट (Trust) से सम्बन्धित सदस्यों, पदाधिकारीगण एव कर्मचारियो को आर्थिक, चिकित्सकीय आदि प्रकार की सुविधा प्रदान करना। साथ ही ट्रस्ट (Trust) से जुडे सदस्यो, पदाधिकारियो, कर्मचारियो के परिजनों हेतु पठन–पाठन–रहन–सहन, आर्थिक शिक्षा हेतु मकान बनाने, दुकान की स्थापना करने एव रोजगार देने हेतु विशेष व्यवस्था एवं मदद करना।

ज्ञानमती सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 144169

(2)

1–	ट्रस्ट का नाम	:	**स्व0 रामरती देवी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट**
2–	**ट्रस्ट का नाम**	:	म0नं0–22 वृन्दावन कालोनी राजेन्द्रनगर पश्चिमी पोस्ट–गोरखनाथ,गोरखपुर–273015
3–	ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारतवर्ष और विदेशों मे भी ट्रस्ट कार्य कर सकेगा।
4–	ट्रस्ट की परिभाषाएं	:	जब तक विषय या प्रसंग मे कोई बात प्रतिकूल न हो इस ट्रस्ट के लिखित अधिनियम में तथा इसके अधीन बने विनियमों में–

(क) "ट्रस्ट" का तात्पर्य : स्व0 रामरती देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट।

(कक) ट्रस्टी का तात्पर्य : स्व0 रामरती देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट के " मुख्य ट्रस्टी"

(ख) "ट्रस्ट काउन्सिल : का तात्पर्य ट्रस्ट की विचार सभा से है।

(खख) मेम्बर आफ ट्रस्ट काउन्सिलर्स" का तात्पर्य ट्रस्ट की विचार सभा के सदस्यों से है।

(ग) "**लेजिसलेटिव ट्रस्ट काउन्सिल (Legistlative trust council)**" का तात्पर्य ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा से हैं

(गग) "**मेम्बर आफ लेजिसलेटिव ट्रस्ट काउन्सिल (Member of legislative trust council)**" का तात्पर्य ट्रस्ट के व्यवस्थापक सभा के सदस्यों से है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 144170

(3)

(घ) **''एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल (Executive trust Council)''** का तात्पर्य ट्रस्ट के कार्य सम्पादनी सभा से है।

(घघ) **''मेम्बर्स आफ एक्सक्यूटिव ट्रस्ट काउन्सिल(M ember of executive trust conuncil)''** का तात्पर्य ट्रस्ट के कार्य सम्पादनी के सदस्यों से है।

(च) **बोर्ड (Board)''** का तात्पर्य ट्रस्ट के उस परिषद से है, जिसे किसी विशेष प्रयोजन हेतु ट्रस्ट की व्यवस्थापक सभा द्वारा गठित कर उस प्रयोजन को सम्पन्न कराने का अधिकार दिया जाय।

(छ) **''सम्बद्ध समिति''** का तात्पये उस समिति स है जो विधिवत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा अपने उददेश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट उन्हे अपने से सम्बद्धता प्रदान किया हो।

(ज) **''महानिदेशक (Directo General)''** का तात्पर्य मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति विशेष से है।

(झ) **''निदेशक''** से तात्पर्य ट्रस्ट प्रबन्ध (व्यवस्थापक सभा) द्वारा चयनित या मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित व्यक्ति विशेष से है।

(ट) **''सचिव''**से तात्पर्य ट्रस्ट के विभिन्न अंगों के अलग–अलग नामित या चयनित सचिवों से हैं

ज्ञान मती सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 144171

7— मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु जच्चा –बच्चा स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

8— विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु छात्रावास, खेलकूद एवं देशाटन तथा जीम हाउस आदि की व्यवस्था एवं संचालन करना। शिशु/बालक/विद्यार्थियों/प्रौढ़ों के विशेष बौद्धिक शिविर लगाकर विभिन्न ज्वलन्त विषयों की जानकारी देना एवं प्रशिक्षित करना जिसमें समाज एवं राष्ट्र की सुरक्षा हो सके।

9— पूरे देश एवं समाज में समाजवादी सोच एवं समरसता की भावना उत्पन्न करना तथा देश की एकता और अखण्डता हेतु विभिन्न जनहित एवं राष्ट्रहित के कार्यो का सम्पादन करना व कराना।

10— महिलाओं के विकास हेतु सिलाई कढ़ाई बुंनाई पन्टिंग,कताई तथा आदि प्रकार के रोजगार परक योजनाओं को बढ़ावा देने एवं महिला समृद्धि को प्रात्साहित करना। तथा महिला स्वंय सहायता समूहों का गठन कर उन्हें संचालित कराना एवं उनके द्वारा घरेलू एवं लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। स्थापना कराना, उन्हें कब्जे माल की की व्यवस्था करना व पके माल को बाजार मे विक्रय करना।

11— स्वंय सहायता समूहों का गठन करना व कराना तथा व उनके लघु उद्योगों की स्थापना व संचालन कराना तथा उनके द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना व संचालन कराना तथा उन्हें कच्चे माल की व्यवस्था करना व उनके द्वारा तैयार वस्तुओं को बाजार में विक्रय कराना।

12— क्षेत्र में लोगों मे सामाजिक,नैतिक,आर्थिक रूप से स्वावलम्बन की भावना उत्पन्न करना एवं क्षेत्र के बेरोजगारों को प्रशिक्षित कराकर तथा कारीगरो की व्यवस्था करना एवं कराना।

13— खादी. ग्रामोद्योग,खादी कमीशन, कपार्ट, डूडा, सूडा, डी0आर0डी0ए0 व अन्य सरकारी, अर्धसरकारी या एन0जी0ओ0. से जुड़कर या उन्हें अपने साथ जोड़कर उनकी योजनाओं को संचालित करना तथा अपनी योजनाओं को विस्तार हेतु उनके द्वारा संचालित कराना।

ज्ञानमती देवि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 144172

14– अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक विद्यालय,मदरसा संचालित करना एवं उनके विकास व शिक्षण–'प्रशिक्षण आदि संस्थानो की व्यवस्थां करना तथा अल्पसंख्यक कल्याण आयोग से जुड़कर उनके द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना, कराना व उनका प्रचार–प्रसार करना व कराना तथा अल्पसंख्यक कल्याणकारी विभिन्न संगठनों से जुड़कर उनके हित में कार्य करना व कराना तथा उनके विकास व कल्याण हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण आदि शिविरों का आयोजन करना व कराना तथा उन कार्यो हेतु स्वदेशी व विदेशी संस्थाओं से ऋण, चन्दा व अनुदान तथा आथिक सहायता प्राप्त करना व सहायता देना।

15– अनुसूचित जनजाति एवं अनुजनजाति एवं दलितों की छात्रो के शिक्षा की उचित व्यवस्था करना तथा उनके कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना। अनुसूचित जाति कल्याण आयोग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओ को विकसित एवं प्रचार–प्रसार करना व कराना एवं उस क्षेत्र में कल्याणकारी कार्य करने वाली संस्थाओं से जुड़कर एवं उन्हें जोड़कर कार्य करना व कराना। विभिन्न संस्थाओ से विश्व बैंक राज्य तथा केन्द्र सरकार से इस हेतु ऋण, चन्दा अनुदान, सहयोग आदि लेना व देना।

16– वृद्ध, विकलांगों के कल्याण हेतु कल्याण कारी योजनाओं को संचालन करना तथा विकलांगो का शिक्षित व प्रशिक्षित करने हेतु विशेष शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा उन्हें कल्याणकारी व रोजगार परक प्रशिक्षण मुहैया कराकर रोजगार की व्यवस्था करना। वृद्ध, विकलांग, आश्रम, असहायगृह व अनाथालय आदि की स्थापना करना व कराना तथा इस हेतु ऋण,अनुदान, चन्दा आदि प्राप्त करना व कराना।

17– ईसाई मिशनरीज व ट्रस्टो से जुड़कर कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना व कराना तथा उनसे ऋण, अनुदान चन्दा आदि लेना व देना।

18– असहाय व गरीबों हेतु बिना जाति का ध्यान दिये तथा अन्य लोगों के लिए भी आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना व महिलाओं हेतु हास्टल शिक्षा की व्यवस्था करना तथा सर्वधर्म व समभाव का विकास करने हेतु सबके लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन व समाज को समरसता के मार्ग पर चलकर समाज में जीवन यापन करने हेतु प्रोत्साहित करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 144173

(6)

19– मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, डिम्ड यूनिवर्सिटी रव वित्त पोषित विश्वविद्यालय पालिटेक्निक कालेज, आई0टी0आई0 विद्यालय तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं व वैज्ञानिक व शोध संस्थानों, मुद्रा परीक्षण केन्द्रों, सीड व कार्य रिसर्च सेन्टरों चिकित्सालयों आदि की स्थापना व संचालन करना।

20– जल शुद्धिकरण परियोजन, वायु प्रदूषण से मुक्ति हेतु कल्याणकारी योजनाओं पर शोध कार्य करना व उनका प्रचार–प्रसार कराना तथा जल स्थल, वायु आकाश,मानव पशु,पक्षी, जीव–जन्तु अचल सभी के कल्याण हेतु कल्याणकारी खोज करना व कराना तथा ऐसा करने वाले संस्थाओं से जुड़कर कार्य करना व कराना।

21– सहायता, महिला कल्याण, विमुक्ति जातियों के कल्याण तथा बाल–वृद्ध विकलांगों के कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनाओं का संचालन विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी व एन0जी0ओ0 से जुड़कर कार्य करना व कराना।

22– देश तथा विदेशो में भी विभिन्न स्थानों पर कल्याणकारी योजनाओ के संचालन हेतु अपनी ट्रस्ट की शाखा कार्यालय की स्थापना करना व कराना तथा विभिन्न प्रकार के विद्यालयों जो कि उपर वर्णित है उनके स्थापना व संचालन करना व कराना। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्षेत्रों में विभिन्न संसथाओं को समृद्ध कर उनके माध्यम से कार्य करना कराना तथा उन्हें ऋण चन्दा आदि लेना व देना।

23– अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा, केन्द्रो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, कोचिंग सेन्टरो आदि दृष्य व श्रवय यंत्रों द्वारा शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था व विकास करना।

24– बेंराजगारी उन्मूलन हेतु विभिन्न रोजगार परक कार्यक्रमों का संचालन जो कि राज्य सरकार आई0डी0 डी0आई0 सिडवी, लघु उद्योग नियम, नावार्ड राष्ट्रीय महिला कोष, आर0वी0आई0 एवं विश्व बैंक आदि से संचालित कार्यक्रमों का संचालन व प्रचार–प्रसार करना व कराना।

25– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डब्लू0एच0ओ0, सिडवी, नवार्ड, नौरॉड, डकवारा, आई0 आर0डी0 पी0एस0, जे0आर0वाई0 अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम, स्वजल धारा, सिप्सा, ऐप्सा आदि कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना व कराना तथा इस निमित्त ऋण, चन्दा,अनुदान आदि प्राप्त करना।

ग्यानश्री सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 144174

26– परिवार नियोजन पर कार्य, इस हेतु विभिन्न स्थानो पर नशबन्दी शिविरो आदि का संचालन करना, टीकाकरण, पल्स पोलियों, हेपेटाइटिस बी, आदि का शिविर लगाकर टीकाकरण कराना तथा अपंगता, कुष्ठ एवं अन्धता निवारण केन्द्रो का स्थापना करना, लाईलाज बीमारियों जैसे–एड्स, कैन्सर आदि के बचाव हेतु उपायों को लोगों तक पहुँचाना व इनके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना तथा नित्य उत्पन्न होने वाली नई बीमारियों की जानकारी व उनके रोकथाम की उपाय लोगों को बताना।

27– नशा उन्मूलन पर कार्य करना तथा इसके प्रति युवाओ मे जागरूकता पैदा करना तथा इस हेतु जगह–जगह नुक्कड़ सभा आदि का आयोजन करना व कराना। मेला प्रदर्शनी, उत्सव, महोत्सव का आयोजन करना व कराना पशुओं के क्रय–विक्रय का मेला आयोजित करना। नशीली दवा जागरूकता एवं परामर्श केन्द्रो की स्थापना करना एवं समग्र डिस्पेन्सरी की व्यवस्था हेतु अनुदान केनद्र सरकार राज्य सरकारों आदि सरकारी गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त करना।

28– एन0जी0.ओ0 हेल्पलाइनों की स्थापना करना तथा उनके लिए शिक्षण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना, राज्य सरकारों केन्द्र सरकार तथा विश्व बैंक एवं संसाधन मंत्रालय द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना व कराना। सरकार के विभिन्न मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे। जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना तथा इस हेतु अनुदान प्राप्त करना।

29– समाचार पत्रों पत्रिकाओ, लेखा, उपान्यासों आदि का प्रकाशन करना व कराना तथा इस हेतु प्रेस आदि स्थापित करना।

30– भूमि सुधार हेतु एवं भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भूमि सेना का गठन कराकर कार्य कराना। पर्यावरण संरक्षण पर कार्य करना व अन्य जीवों की सुरक्षा एवं जीव–जन्तुओं की सुरक्षा करना। वृक्षारोपड़ कराना व इससे लोगों को होने वाले लाभ बताना।

31– छोटे, लघु, कुटीर, घरेलू उद्योगों स्थापना कराकर रूरल एरिया में बेराजगारो को रोजगार उपलब्ध कराना।

ज्ञान मति सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 144175

32– भारत सरकार द्वारा निर्धारित कम्पनी ऐक्ट के अन्तर्गत विभिन्न कम्पनीज की स्थापना तथा भारी एवं हैवी उद्योगों की स्थापना व संचालन करना व कराना तथा इस हेतु वैतनिक या अवैतनिक कर्मचारी आदि की व्यवस्था करना।

33– राष्ट्रहि समाजहित एवं वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या जल, थल और आकाश में किसी भी क्ष में साहसिक कार्य करना वाली प्रतिभाओं को विभिन्न पुरस्कारों से एवं सम्मान पत्रों के माध्यम से सुशोभित एवं सम्मानित करना। आदर्श व राजनैतिक व्यक्तियों को सम्मानित करना। इस दृष्ट द्वारा ''उत्तर प्रदेश गौरव'' नामक सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

34– राजनैतिक पार्टी का गठन करना तथा नियमानुसार उसे चुनाव आयोग भारत के द्वारा पंजीकृत कराकर संचालित करना। अनेक संगठनों का गठन एवं संचालन करना व कराना तथा इसे छोटी–मोटी इकाईयों में विभक्त कर संचालित करना।

35– पेट्रोलियम पदार्थो जैसे– पेट्रोल, डीजल, कैरोसीन आयल, आदि के लिए पेट्रोल पम्पों आदि की स्थापना करना एवं एल0पी0जी0 गैस आदि की एजेन्सी संचालित करना तथा ईंधन के श्रोतों जैसे– कोयला, लकड़ी आदि के सरक्षण एवं सदुपयोग हेतु कार्य करना।

36– कल–कारखानों की स्थापना एवं सांचालन संबंधित ऐक्ट के अनुसार करना।

37– वित्तीय संस्थानों, बैंकों एवं वित्तीय कम्पनियों की स्थापना एवं संचालन रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निर्देशानुसार करना व कराना तथा नेटवर्किंग सिस्टम से कम्पनी का स्थापना एवं संचालन कराना।

38– बालश्रम उन्मूलन, किशोर न्यायबोर्ड से जुड़कर कार्य करना तथा बालश्रमिको को चिन्हित कर एवं बंधुओ मजदूरों को मुक्त कराकर उन्हे शिक्षित करना एवं उनके रोजगार की व्यवस्था करना।

ज्ञानमती सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 144176

(9)

39— विशेष टास्क फोर्स का गठन कर बाल श्रम कराने वाली संस्थाओ,दुकानों एवं देह ,व्यापार कराने वाले स्थानो पर रेड लाईट एरिया में छापा डालकर उन्हें मुक्त कराना एवं उनके संचालन हेतु कार्य करना, सामूहिक विवाहों का शिविर लगाकर आयोजन करना। शासन प्रशासन मे व्याप्त भ्रष्टाचारों को जानने एवं उनसे मुक्ति हेतु खुफिया एजेन्सी का गठन करना एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाकर अपने टास्क फोर्स या खुफिया एजेन्सी को उस विभाग की मदद हेतु भेजना या देना।

40— राष्ट्रदोही गतिविधयों,आतंकवाद,उग्रवाद आदि के खिलाफ मुहिम चलाना तथा ऐसी गतिविधियों का पता लगाकर खुलासा करना।

41— मानवाधिकार संरक्षण पर कार्य करना तथा मानवाधिकार से जुडकर कार्य करना एवं उनके अनुपालन हेतु कटिबद्ध होना।

42— रेड क्रास सोसाइठी से जुड़कर कार्य करना/मानव सेवा करना जिसके द्वारा नागरिकों की सेवा, सहयोग और सुरक्षा की जा सके।

43— विश्व में स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने हेतु स्वास्थ्य चिकित्सा कार्यक्रम, एलोपैथिक, यूनानी व आयुर्वेदिक योगा सिद्ध व स्थानीय लकडी बूटियों की पहचान प्रसार व प्रचार करना तथा औषधि निर्माण फार्मेसी की स्थापना करना।

44— सेमिनार, प्रशिक्षण खेल—कूद, आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा विभिन्न स्थानों पर रात्रि विश्राम हेतु यात्री निवासगृह एवं होटल, ढॉबा, होटल की स्थापना करना।

45— सूचना के तीव्र आदान—प्रदान हेतु सूचना केन्द्र, चैनल सूचना विज्ञान केन्द्र, दूरदर्शन आदि की स्थापना करना। डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों का निर्माण एवं प्रदर्शन एवं प्रसार व प्रचार करना।

46— सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से कान्ट्रैक्ट पर लेकर छोटे बडे भवन, पुल, पुलिया, मकान दुकान, रास्ता, नाली, खड़ंजा, तारकोल लेपन कार्य कराना।

47— विभिन्न स्थानों पर मठ, मंदिर, धार्मिक स्थल, चर्च, गिरजाघर, आश्रम,सेवा आश्रम, काम्पलेक्स आदि का निर्माण करना व कराना।

48— जल,स्थल व लघु मार्गो में यात्रा संसाधनों का विकास उनमें ठहराव, आवागमन संचालन की व्यवस्था करना।

49— प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत व बचाव कार्य करना तथा राष्ट्र व जनहित मे आर्थिक व अन्य प्रकार की मदद करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 144177

50— ऊर्जा के क्षेत्र में प्राकृतिक, अप्राकृतिक,वैकल्पिक, उर्जा, बायो गैस आदि का उत्पादन क्रय–विक्रय संचालन प्रदर्शन व प्रचार–प्रसार करना।

51— मानव अंगों की बिक्री, देह व्यापार आदि जैसे जघन्य अपराधों एवं घृणित कार्यो का पता लगाना एवं ऐसा करने वाले कराने वाले व्यक्तियों संसथाओ आदि के प्रति दण्डित कराने का प्रयास करना व रोक लगाना।

52— लोक सेवायोजन प्रतिनिधियों, समाज सेवियों आदि लोगों की गतिविधियों पर भी ध्यान रखना व उनके द्वारा यदि जनता का शोषण व भ्रष्टाचार को बढ़ाने की गतिविधियों मे लिप्त हो तो उनके खिलाफ आवाज उठाना।

53— विभिन्न स्थानों पर जनता सहायता केन्द्र खोलना जिसके मध्यम से आम नागरिकों को उनमे संवैधानिक, अधिकारों, कर्तव्यों आदि की जानकारी दी जा सके तथा उनकी आर्थिक, सामाजिक, तथा अन्य प्रकार के मदद की जा सके। जनता एवं शासन प्रशासन के बीच सामन्जस्य स्थापित करना।

54— विभिन्न छोटे व बड़े औद्योगिक राजनैतिक, आर्थिक हस्तियों का संगठन बनाकर ट्रस्ट परिषद के रुप में स्थापित करना एवं उनके सहयेाग से क्षेत्र में विकास कार्य करना व करवाना।

55— पशुओं, जगली जानवरों, नभचर एं जलचर जन्तुओं के रख–रखाव व संरक्षण हेतु कार्य करना।

56— ग्राम्य विकास कृषि के विभिन्न आयामों कृषकों के कल्याण कान्ट्रैक्टर फार्मिंग ग्रामीण उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों, संस्कृति मंत्रालय आदि विषयों पर विस्तृत योजना बनाकर वृहद कार्य रना व कराना तथा इसके लिए ऋण चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना।

57— युवा मिलाप केन्दों की स्थापना करना, युवा परिचय सम्मेलन का आयोजन करना व इस हेतु युवक, युवतियों का सेमिनार गोष्ठी, सम्मेलन आदि का आयोजन करना।

मानमती सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BH 144178

ट्रस्ट के व्यवस्थापक सभा (Legislative Trust council)— पदाधिकारीगण के नाम, पता,पद, व्यवसाय जिनको ट्रस्ट के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है निम्नवत है—

क्र.सं.	नाम	पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	उम्र
1.	श्रीमती ज्ञानमती सिंह	श्री जगदम्बा सिंह	22, वृन्दावन कालोनी राजेन्द्रनगर पश्चिमी पोस्ट—गोरखनाथ जिला—गोरखपुर।	मुख्य / ट्रस्टी महानिदेशक	समाजसेवा	53वर्ष
2.	श्री योगेन्द्र सिंह	श्री जगदम्बा सिंह	22, वृन्दावन कालोनी राजेन्द्रनगर पश्चिमी पोस्ट—गोरखनाथ जिला—गोरखपुर।	सचिव / सेक्रेटरी	व्यापार	28वर्ष
3.	श्री सो मित्र सिंह	श्री जगदम्बा सिंह	22, वृन्दावन कालोनी राजेन्द्रनगर पश्चिमी पोस्ट—गोरखनाथ जिला—गोरखपुर।	सदस्य	व्यापार	49वर्ष
4.	श्रीमती अंजली सिंह	पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह	22, वृन्दावन कालोनी राजेन्द्रनगर पश्चिमी पोस्ट—गोरखनाथ जिला—गोरखपुर।	सदस्य	शिक्षा	24वर्ष

उपरोक्त के अलावा ट्रस्ट के इस काउन्सिल में निदेशक (डायरेक्टर) प्रबन्ध निदेशक कानूनी सलाहकार तथा दो सदस्य बनाये जायेगे। जिनको मुख्य ट्रस्टी अपने सुविधानुसार उचित समय पर नामित करेगा।

यह काउन्सिल ट्रस्ट की सर्वोपरि लेजिसलेटिव काउन्सिल होगी तथा ट्रस्ट काउन्सिल के द्वारा बनाये गये नियमों / विनियमों के द्वारा संचालित किया जायेगा।. इसके अलावा ट्रस्ट मे निम्न समितियों का गठन किया जायेगा—

1— ट्रस्ट काउन्सिल (ट्रस्ट की विचार सभा या साधारण सभा)

2—एक्सयूटिव ट्रस्ट काउन्सिल (ट्रस्ट की कार्य सम्पादनी सभा या प्रबन्ध सभा)

3—ट्रस्ट बोर्ड

उक्त समितियों का गठन मुख्यी स्वंय करेगें की लेजिसलेटिव काउन्सिल के द्वारा गठन कर ट्रस्ट की काउन्सिल के द्वारा अनुमोदित कराया जायेगा। जिसके अधिकार व कर्तव्य आगे दिये जायेगे।

ज्ञानमती सिंह

आज दिनांक **14/07/2016** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **224**

पृष्ठ सं. **359** से **412** पर कमांक **156**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अविनाश पाल प्र0उ0नि0

उप निबन्धक प्रथम

गोरखपुर

14/7/2016